न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7066–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–11–2015 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प ग्वालियर प्रकरण कमांक 65/बी–103/2014–15/33/38

1– हरि प्रसाद अग्रवाल पुत्र स्व. श्री आर.पी. अग्रवाल
निवासी 63, श्रीराम कॉलौनी, झांसी रोड, ग्वालियर
2– रवि गुप्ता पुत्र स्व. श्री संतप्रकाश गुप्ता
निवासी शब्द प्रताप आश्रम, ग्वालियर
3– मुकेश गर्ग पुत्र स्व. श्री रामेश्वर दयाल गर्ग
निवासी 823, सिल्वर स्टेट, सिटी सेन्टर, ग्वालियर

.....आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प ग्वालियर

.....अनावेदक

1– परवेज उर्फ कौंसर शाह पुत्र स्व. श्री मंसूर शाह
2– कु. वदरजहां पुत्री स्व. श्री सैयद मंसूर शाह
निवासी राने खां का बाड़ा, दही मण्डी, लश्कर
जिला ग्वालियर

.....प्रोफार्मा अनावेदकगण/विकेतागण

श्री प्रशांत शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी.एन. त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक शासन

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/5/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 (1) के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 1 व 2 के मध्य शंकरपुर स्थित सर्वे कमांक 808 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, सर्वे कमांक 826 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, सर्वे कमांक 828 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, सर्वे कमांक 838 रकबा 5 बिस्वा, सर्वे कमांक 839 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, सर्वे कमांक 827 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा जिसमें कोठी बनी हुई है, कुल रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा के संबंध में अपंजीकृत विकय अनुबंध पत्र निष्पादित हुआ । न्यायालय तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 114 ए/2014 में विकय अनुबंध पत्र पर्याप्त मुद्रांकित नहीं होने से मुद्रांक शुल्क एवं शास्ति वसूली हेतु अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही कर उक्त दस्तावेज मूल रूप से न्यायालय को वापिस करने के निर्देश के साथ कलेक्टर आफ स्टाम्प, ग्वालियर को भेजा गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 65/बी–103/2014–15/33/38 दर्ज कर दिनांक 9–11–2015 को आदेश पारित कर 1,03,000/– रूपये मुद्रांक शुल्क निर्धारित कर कमी मुद्रांक शुल्क 1,02,900/– रूपये एवं शास्ति रूपये 1,02,900/– कुल 2,05,500/– रूपये 15 दिवस में जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा केवल 16 बिस्वा भूमि के संबंध में विकय अनुबंध पत्र निष्पादित कराया गया है, परन्तु कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा सम्पूर्ण भूमि का बाजार मूल्य निर्धारित करते हुए मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तृतीय न्यायाधीश वर्ग 1 द्वारा केवल 16 बिस्वा के संबंध में मुद्रांक शुल्क एवं शास्ति अधिरोपित करने हेतु कलेक्टर आफ स्टाम्प को विकय अनुबंध पत्र भेजा गया है, परन्तु व्यवहार न्यायालय के आदेश के विपरीत कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 1 व 2 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि यद्यपि व्यवहार न्यायालय द्वारा 16 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रश्नाधीन अनुबंध पत्र परिबद्ध कर उचित मुद्रांक शुल्क एवं शास्ति निर्धारण हेतु कलेक्टर आफ स्टाम्प को भेजा गया है, परन्तु जब दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य होगा, तब सम्पूर्ण क्षेत्रफल के लिए ही ग्राह्य होगा । ऐसी स्थिति में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । चूंकि आवेदकगण द्वारा मुद्रांक शुल्क का अपवंचन किया गया है, इसलिए शास्ति अधिरोपित करने में भी कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा उचित कार्यवाही की गई है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–11–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर